(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 46/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर,2021

सा.का.नि…. (अ) - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त् मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड. (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्द्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,क्रम संख्या 607 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“607.	9804	निम्नलिखित वस्तुएं, जो कि निजी उपयोग के लिए आयातित की गई हो, यथा:-			
		(क) जीवनरक्षक औषधियां या दवाएं (जिसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट्स किट्स भी आते हैं), जो कि सूची 4 में विनिर्दिष्ट हों;	शून्य	-	-
		(ख) जीवनरक्षक अन्य औषधियां या दवाएं,	शून्य	-	16
		(ग) जीवनरक्षक दवाएं जिनका उपयोग स्पाइनल मसक्कुलर एट्रोफि या डचेन मसक्कुलर डिस्ट्रोफी के उपचार में होता हो, यथा:-	शून्य	शून्य	16”;
		(i)ज़ोल्गेन्स्मा (ओनासेमनोजीन अबेपारवोवेक)			
		(ii) विल्टेप्सो (विल्टोलरसेन)			
		(iii)अन्य औषधियां जिनका उपयोग उक्त बीमारियों के उपचार में होता हो ।			

(ख) अनुबंध में, शर्त संख्या 16 के स्थान पर निम्नलिखित शर्त को प्रतिस्थापित किया जाएगा,यथा:-

"16.	**यदि**,- (क) **ऐसे माल का आयात किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए किया जाता हो**; (ख) **यथा लागू और नीचे विनिर्दिष्ट फार्म में महानिदेशक या उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली, निदेशक, राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं या जिला चिकित्सा अधिकारी/जिले के सिविल सर्जन, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में, यह प्रमाणित करें** (1) **उक्त सारणी के क्रम संख्या 607 के उपवाक्य (ग) के उप उपवाक्य** (iii) **के दायरे में आने वाले स्पाइनल मसक्कुलर एट्रोफि या डचेन मसक्कुलरडिस्ट्रोफीके उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवाओं से संबंधित फार्म** **.....(वर्ष) का प्रमाणपत्र संख्या.....** **प्रमाणित किया जाता है कि..... (रोगी का नाम) के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवा .....(दवा का नाम) एक जीवनरक्षक दवा है और इसका प्रयोग विशेष रूप सेस्पाइनल मसक्कुलर एट्रोफि या डचेन मसक्कुलर एट्रोफि के उपचार में किया जाता है और इस पर सीमाशुल्क तथा एकीकृत जीएसटी के भुगतान से छूट दिए जाने की सिफारिश की जाती है ।** **महानिदेशक/** **उप महानिदेशक/** **सहायक महानिदेशक,** **स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली, या** **निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं या** **जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन** **की मुहर तथा तारीख** **या** (2) **उन जीवनरक्षक औषधियों या दवाओं से संबंधित फार्म जो कि ऊपर** (1) **के दायरे में नहीं आती हैं और जिनका आयात उक्त सारणी के क्रम संख्या 607 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत किया जा रहा हो ।** **.....(वर्ष) का प्रमाणपत्र संख्या.....**

	प्रमाणित किया जाता है कि..... (रोगी का नाम) के उपचार में प्रयोग की जाने वाली औषधि/दवा .....(औषधि/दवा का नाम) एक जीवनरक्षक औषधि/दवा है जिसका प्रयोग ..... (रोग का नाम) के उपचार में किया जाता है और इस पर सीमाशुल्क के भुगतान से छूट दिए जाने की सिफारिश की जाती है । **महानिदेशक/** **उप महानिदेशक/** **सहायक महानिदेशक,** **स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली, या** **निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं या** **जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन** **की मुहर तथा तारीख** **और** **(ग) आयातकर्ता उक्त प्रमाणपत्र को क्लीयरेंस के समय उप आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो के समक्ष प्रस्तुत करता हो या इस बात की अंडरटेकिंग, जैसा कि उप आयुक्तया सहायक आयुक्त को स्वीकार्य हो, देता हो कि वह ऐसी अवधि के भीतर जिसे उक्त उप आयुक्तया सहायक आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा और ऐसा न हो पाने पर वह लगाए गए शुल्क का भुगतान कर देगा ।**

(ii) शर्त संख्या 102 केअंदर, मद (iv) के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा,यथा:-

'बशर्ते कि ऊपर (iii) में दी गई शर्त के अनुसार माल का भारत से बाहर पुन:निर्यात किए जाने के बजाय इसे पट्टाकर्त्ता भारत में ही किसी दूसरे पट्टाधारक को केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) और 5(च) के दायरे में आने वाले किसी संव्यवहार के अंतर्गत पट्टे पर दे सकता है और इस मामले में, --

(क) मूल पट्टाधारी आयुक्त, सीमाशुल्क को इसकी जानकारी देगा और अपने बान्ड को डिस्चार्ड करा लेगा;

(ख) इस प्रकार नया पट्टाधारी ऐसे फार्म में और राशि का, जिसे आयुक्त, सीमाशुल्क विनिर्दिष्ट करे,बान्ड भरकर एतश्मिन उल्लिखित शर्तों के अनुसार स्वयं को इस प्रकार बंध करेगा जैसे कि वह ऐसे माल का आयात करता ही हो ।

***बशर्ते* और भी कि यदि माल की आपूर्ति किसी एस.ई.जेड. यूनिट के द्वारा डी.टी.ए. को केन्द्रीय माल**

एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची IIके मद 1(ख) या 5(च) के दायरे में आने वाले किसी संव्यवहार के अंतर्गत करता हो और जहां ऐसी एस.ई.जेड. इकाई केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत ऐसे संव्यवहार के लिए एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए दायी हो तो ऐसा पट्टाधारी केवल उपर्युक्त (ii), (iii) और (iv) की शर्तो के प्रति ही अपने को बंधक रखेगा ।

स्पष्टीकरण.- यदि किसी एस.ई.जेड. इकाई (पट्टाकर्त्ता) के द्वारा डी.टी.ए. को माल की आपूर्ति केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) या 5(च) के दायरे में आने वाले संव्यवहार के अंतर्गत किया जाता हो तो-

(क) "आयुक्त, सीमाशुल्क" या "सीमाशुल्क आयुक्त, आयात पत्तन" से अभिप्राय ऐसे "विशिष्ट अधिकारी" से होगा जो कि विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के अंतर्गत परिभाषित हो;

(ख) मद (iii) में उल्लिखित"पुन:निर्यात" का अभिप्राय माल का पट्टाकर्त्ता को वापस करने से है।'

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या190354/206/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 44/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 17 सितम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 640 (अ), दिनांक 17 सितम्बर,2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।